न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख हुक्म	राज. सरकार बनाम परमालीलाल मु.नं. 30/24 (विविध)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	21.2.25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28.2.25 को पेश हो।	
	28/2/25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4.4.25 को पेश हो।	
	4.4.25 मंत्रालयिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9.5.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	9.5.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष उपस्थित। सहखातेदार से रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु सहमति प्राप्त हुई। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 27.5.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	27.5.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष उपस्थित। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्रा.पत्र को स्वीकार किया जाता है। उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख (जमाबंदी व नक्शा) में बिना हैसियत परिवर्तन किये गै.मु. रास्ता दर्ज करने के	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	राज. सरकार बनाम परभाती लाल मु.नं. 30/24 (विविध)	
	आदेश दिये जाते है। विस्तृत निर्णय पृथक से जारी होकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
30/2024	25.06.2024	27.05.2025

बउनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

2. परभातीलाल पुत्र टुण्डायानाथ, निवासी लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. प्रार्थी – तहसीलदार बैजूपाडा।
2. अप्रार्थी – परभातीलाल पुत्र टुण्डायानाथ।

प्रार्थना पत्र बाबत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में अभिलिखित करने अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86

निर्णय

1. तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावी नियम व अधिसूचनाओं के अनुसरण में, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक –पं. 3(2) एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत मौके पर स्थायी रूप से प्रचलित/चालू रास्तों को राजस्व अभिलेखों में अंकित करने बाबत् प्रस्ताव ग्राम लोडवाडा पटवार हल्का लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत 2074–2077 अनुसार आराजी के खसरा सं. 3090/0.25 किस्म चाही 2 में से 0.02 हैक्टे., 3091/0.30 किस्म चाही 2 में से 0.02 हैक्टे. को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौके पर प्रचलित रास्तों का उक्त भूमि गै.मु. रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की अभिशंषा के साथ प्राप्त हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि के निजी खातेदार परभातीलाल पुत्र टुण्डायानाथ को अपना पक्ष दिनांक 16.07.2024 को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। खातेदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु अपनी सहमति प्रस्तुत की है।

3. प्राप्त प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट के मुताबिक, उपरोक्त भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है, उपरोक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है, भूमि का संलग्न मानचित्र (नक्शा ट्रेस) में लाल स्याही से अंकित किया हुआ है। तहसीलदार बैजूपाडा ने इस प्रचलित रास्ते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है। उक्त खसरों के खातेदार ने इस बाबत अपनी सहमति प्रदान की है।

4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा प्रस्तावित आराजी खसरा सं. 3090/0.25 में से 0.02 हैक्टे., 3091/0.30 में से 0.02 हैक्टे. वाके राजस्व ग्राम लोटवाडा, पटवार हल्का लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा को मानचित्र एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

5. राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक–पं.3(2) राज.–6/2008/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है एवं खातेदार की सहमति के आधार पर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तावित मौके पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते हेतु ग्राम लोटवाडा पटवार हल्का लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत 2074–2077 अनुसार, आराजी खसरा सं. 3090/0.25 किस्म चाही 2 में से 0.02 है., 3091/0.30 किस्म चाही 2 में से 0.02 है. को राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी व नक्शा) में बिना टाईटल परिवर्तन किये गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग होगा। तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. यह आदेश राज्य सरकार के प्रभावी नियमों एवं अधिसूचनाओं के आधार पर दिनांक 27.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)